रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931
No. 212] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2009

सं. भा.आ.प. 34 (41)/2009-मेडि./50261.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :-

3. दिनांक 8-7-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009" द्वारा यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" की अनुसूची (1) में 'परिसर' शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"महानगरों और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में स्थित मेडिकल कॉलेजों या मेडिकल संस्थानों को छोड़कर, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल संस्थान, कम से कम 20 एकड़ भूमि के एकात्मक परिसर में स्थित होगा। तथापि, किसी ऐसे स्थान, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, जहां जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, पर्वतीय क्षेत्रों, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली में छूट दी जा सकती है, जहां भूमि दो से अधिक टुकड़ों में नहीं होगी और भूमि के दो टुकड़ों के बीच का फासला 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। छात्रों, अंतरंग डाक्टरों, स्नातकोत्तर/आवासी डाक्टरों तथा नर्सों के लिए होस्टलों और पुस्तकालय सहित अस्पताल, कॉलेज का भवन भूमि के एक टुकड़े में होगा, जो 10 एकड़ से कम नहीं होगा। अन्य सुविधाएं, दूसरे टुकड़े में स्थित हो सकती हैं। उचित भू-दृश्य निर्माण (लैंडस्केपिंग) किया जाना चाहिए।

तथापि, महानगरों और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में मेडिकल कॉलेजों की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमत एफएआर/एफएसआई, ही एकमात्र मापदंड होगा, बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होस्टल, आवासीय क्वार्टरों और न्यूनतम मानक शर्त विनियमावली के अनुसार अपेक्षित अन्य अवसंरचना सहित उपयुक्त अवसंरचना के लिए अपेक्षित कुल निर्मित क्षेत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत, अनुमेय एफएआर/एफएसआई के आधार पर कम से कम 10 एकड़ का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए।

4. अनुसूची 1 में खंड ख.1.8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"इनडोर बिस्तरों का अधिभोग—इनडोर बिस्तरों का औसत अधिभोग कम से कम 80 प्रतिशत होगा:

बशर्ते कि आरंभ करने के समय यह अधिभोग 60 प्रतिशत होगा जिसे, पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों में, 50 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले किसी कॉलेज के लिए बाद में वार्षिक नवीकरणों हेतु बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा ।"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामत: "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" भारतीय अयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998-मेड. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना द्वारा पुन: संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2009

No. MCI. 34(41)/2009-Med./50261.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Requirements for 50 M.B.B.S. Admissions Annually Regulations, 1999" namely :—

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Requirements for 50 M.B.B.S. Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 50 M.B.B.S. Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Schedule (I), Clause A.1.1 of the "Minimum Requirements for 50 M.B.B.S. Admissions Annually Regulations, 1999", as amended by "Minimum Requirements for 50 M.B.B.S. Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009" *vide* Notification dated 08-07-2009 under the heading 'CAMPUS', shall be substituted with the following : —

"The medical college or medical institution shall be housed in a unitary campus of not less than 20 acres of land except in metropolitan and A class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur). However, this may be relaxed in a place especially in Urban areas where the population is more than 25 lakhs, hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States, Hill States and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Daman & Diu & Dadra & Nagar Haveli, where the land shall not be in more than two pieces and the distance between the two pieces shall not be more than 10 kms. The hospital, college building including library and hostels for the students, interns, PGs/Residents and nurses shall be in one piece of land which shall not be less than 10 acres. Other facilities may be housed in the other piece of land. Proper landscaping should be done.

However, in metropolitan cities and "A" class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur), the permissible FAR/FSI would be the criterion for allowing the medical colleges provided that the total built up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital, hostels, residential quarters, and other infrastructure required as per Minimum Standard Requirement Regulations is made available in an area of not less than 10 acres based upon the permissible FAR/FSI allowed by the competent authority."

4. In Schedule (I), Clause B.1.8, shall be substituted with the following :—

" Indoor beds occupancy—Average occupancy of indoor beds shall be a minimum of 80%.

Provided that it shall be minimum 60% at the time of inception which shall be increased to 80% for subsequent annual renewals for a college having annual intake of 50 students in North Eastern States and Hill States."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/100/09-Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Minimum Requirements for 50 M.B.B.S. Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section (4) of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35(I)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931
No. 213] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2009

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./50261.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है; नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009" कहा जाए।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. दिनांक 8-7-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009" द्वारा यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" की अनुसूची (1) में 'परिसर' शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"महानगरों और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में स्थित मेडिकल कॉलेजों या मेडिकल संस्थानों को छोड़कर, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल संस्थान, कम से कम 20 एकड़ भूमि के एकात्मक परिसर में स्थित होगा। तथापि, किसी ऐसे स्थान, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, जहां जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, पर्वतीय क्षेत्रों, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली में छूट दी जा सकती है, जहां भूमि दो से अधिक टुकड़ों में नहीं होगी और भूमि के दो टुकड़ों के बीच का फासला 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। छात्रों, अंतरंग डाक्टरों, स्नातकोत्तर/आवासी डाक्टरों तथा नर्सों के लिए होस्टलों और पुस्तकालय सहित अस्पताल, कॉलेज का भवन भूमि के एक टुकड़े में होगा, जो 10 एकड़ से कम नहीं होगा। अन्य सुविधाएं, दूसरे टुकड़े में स्थित हो सकती हैं। उचित भू-दृश्य निर्माण (लैंडस्केपिंग) किया जाना चाहिए।

तथापि, महानगरों और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में मेडिकल कॉलेजों की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमत एफएआर/एफएसआई, ही एकमात्र मापदंड होगा, बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होस्टल, आवासीय क्वार्टरों और न्यूनतम मानक शर्त विनियमावली के अनुसार अपेक्षित अन्य अवसंरचना सहित उपयुक्त अवसंरचना के लिए अपेक्षित कुल निर्मित क्षेत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत, अनुमेय एफएआर/एफएसआई के आधार पर कम से कम 10 एकड़ का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए।"

4. अनुसूची I में खंड ख.1.8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"इनडोर बिस्तरों का अधिभोग-इनडोर बिस्तरों का औसत अधिभोग कम से कम 80 प्रतिशत होगा,

बशर्ते कि आरंभ करने के समय यह अधिभोग 70 प्रतिशत होगा जिसे पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों में, 100 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले किसी कॉलेज के लिए बाद में वार्षिक नवीकरणों हेतु बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा ।"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाद टिप्पणी.– प्रधान विनियमावली नामत: "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर, 2008 और 1 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना द्वारा पुन:संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2009

No. MCI. 34(41)/2009-Med./50261.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" namely :-

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Schedule (I), Clause A.1.1 of the "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", as amended by "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009" *vide* Notification dated 8-7-2009 under the heading 'CAMPUS', shall be substituted with the following : –

"The medical college or medical institution shall be housed in a unitary campus of not less than 20 acres of land except in metropolitan and A class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur). However, this may be relaxed in a place especially in Urban areas where the population is more than 25 lakhs, hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States, Hill states and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, where the land shall not be in more than two pieces and the distance between the two pieces shall not be more than 10 kms. The hospital, college building including library and hostels for the students, interns, PGs/Residents and nurses shall be in one piece of land which shall not be less than 10 acres. Other facilities may be housed in the other piece of land, Proper landscaping should be done.

However, in metropolitan cities and "A" class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur), the permissible FAR/FSI would be the criterion for allowing the medical colleges provided that the total built up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital, hostels, residential quarters, and other infrastructure required as per Minimum Standard requirement Regulations is made available in an area of not less than 10 acres based upon the permissible FAR/FSI allowed by the competent authority."

4. In Schedule (I), Clause B.1.8, shall be substituted with the following :—

" Indoor beds occupancy-Average occupancy of indoor beds shall be a minimum of 80% :

Provided that it shall be minimum 70% at the time of inception which shall be increased to 80% for subsequent annual renewals for a college having annual intake of 100 students in North Eastern States and Hill States".

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/09-Exty.]

Foot-note : The Principal Regulations namely, " Minimum Requirements for 100 MBBS admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section (4) of the Gazette of India on the 29th April, 1999 *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008 and 1st December, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931
No. 214] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2009

सं. भा.आ.प. 34 (41)/2009-मेडि./50261.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2009" कहा जाए।

   (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. दिनांक 8-7-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2009" द्वारा यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" की अनुसूची (1) में 'परिसर' शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जएगा :

"महानगरों और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में स्थित मेडिकल कॉलेजों या मेडिकल संस्थानों को छोड़कर, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल संस्थान, कम से कम 20 एकड़ भूमि के एकात्मक परिसर में स्थित होगा। तथापि, किसी ऐसे स्थान, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, जहां जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, पर्वतीय क्षेत्रों, अधिसूचित जनजातिय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली में छूट दी जा सकती है, जहां भूमि दो से अधिक टुकड़ों में नहीं होगी और भूमि के दो टुकड़ों के बीच का फासला 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। छात्रों, अंतरंग डाक्टरों, स्नातकोत्तर/आवासी डाक्टरों तथा नर्सों के लिए होस्टलों और पुस्तकालय सहित अस्पताल, कॉलेज का भवन भूमि के एक टुकड़े में होगा, जो 10 एकड़ से कम नहीं होगा। अन्य सुविधाएं, दूसरे टुकड़े में स्थित हो सकती हैं। उचित भू-दृश्य निर्माण (लैंडस्केपिंग) किया जाना चाहिए।

तथापि, महानगरों और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में मेडिकल कॉलेजों की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमत एफएआर/एफएसआई, ही एकमात्र मापदंड होगा, बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होस्टल, आवासीय क्वार्टरों और न्यूनतम मानक शर्त विनियमावली के अनुसार अपेक्षित अन्य अवसंरचना सहित

उपयुक्त अवसंरचना के लिए अपेक्षित कुल निर्मित क्षेत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत, अनुमेय एफएआर/एफएसआई के आधार पर कम से कम 10 एकड़ का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए।"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामत: "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" भारतीय अयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998-मेड. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना द्वारा पुन: संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2009

No. MCI. 34(41)/2009-Med./50261. In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" namely :—

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Schedule (I), Clause A.1.1 of the "Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", as amended by "Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009" vide Notification dated 08-07-2009 under the heading 'CAMPUS', shall be substituted with the following : —

"The medical college or medical institution shall be housed in a unitary campus of not less than 20 acres of land except in metropolitan and A class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur). However, this may be relaxed in a place especially in Urban areas where the population is more than 25 lakhs, hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States, Hill states and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli, where the land shall not be in more than two pieces and the distance between the two pieces shall not be more than 10 kms. The hospital, college building including library and hostels for the students, interns, PGs/Residents and nurses shall be in one piece of land which shall not be less than 10 acres. Other facilities may be housed in the other piece of land, Proper landscaping should be done.

However, in metropolitan cities and "A" class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur), the permissible FAR/FSI would be the criterion for allowing the medical colleges provided that the total built up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital, hostels, residential quarters, and other infrastructure required as per Minimum Standard requirement Regulations is made available in an area of not less than 10 acres based upon the permissible FAR/FSI allowed by the competent authority."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/100/09-Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section (4) of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii), dated the 30th March, 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended vide Notification dated 20th October, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.